न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डॉ0 मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1619–एक/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 16–4–2014 – पारित व्दारा – तहसीलदार, गुलाना जिला शाजापुर – प्रकरण कमांक 2 अ–13/2013–14

श्रीमती मथुरावाई पुत्री गिरधारीलाल पत्नि जगन्नाथ, ग्राम केवलाखेड़ी तहसील गुलाना जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

नारायण सिंह पुत्र बालचंद पवॉर ग्राम केवलाखेड़ी तहसील गुलाना,जिला शाजापुर ----अनावेदक

(श्री के0के0द्विवेदी अभिभाषक – आवेदक)

(श्री दिवाकर दीक्षित अभिभाषक – अनावेदक)

आ दे श

(दिनांक 23 जनवरी 2016)

यह निगरानी तहसीलदार, गुलाना जिला शाजापुर व्दारा प्रकरण कमांक 2 अ–13/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 16–4–2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार गुलाना के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 131 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम केवड़ाखेड़ी में उसके स्वत्व की भूमि सवे। नंबर 800, 802, 803, 814 है इस भूमि पर कृषि कार्य करने के लिये आने जाने का रास्ता ग्राम

केवड़ाखेड़ी जाने वाली प्रधान मंत्री सड़क से लगा हुआ सर्वे नंबर 809 रकबा 051 हैक्टर की भूमि में से है जिस पर रूढ़िगत रास्ता बैलगाड़ी, ट्रेक्टर, मवेशी आदि का रास्ते का उपयोग करता आ रहा है। सर्वे नंबर 804 की दक्षिण की मेढ़ तथा सर्वे नंबर 811 की उत्तरी मेढ़ व 804 एंव 811 के बीच की मेढ़ हीरालाल पुत्र बुचनसिंह पवांर की होकर रूढ़िगत रास्ता रहा है। परन्तु उक्त रास्ते को बागढ़ लगाकर दिनांक 18-10-13 को पूर्णतः बन्द कर दिया है जिसे खुलवाया जावे। तहसीलदार गुलाना ने प्रकरण क्रमांक 2 अ 13/13-14 पंजीबद्ध किया तथा राजस्व निरीक्षक से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर आदेश दिनांक 16-4-14 पारित किया एंव रास्ता अंतरिम रूप से खुलवाये जाने के आदेश दिये। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में दिये गये तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

5/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनावेदक शासकीय सर्वे नंबर 744 के आमरास्ते से अपने खेतों पर पिछले 25-30 वर्षो से आता जाता रहा है। अनावेदक के सभी खेत एक-दूसरे से लगे हुये हैं परन्तु पिछले 2-3 वर्षो से पूर्व की ओर प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत रोड बन जाने से आवेदक के सर्वे नंबर 804 एंव 811 में से रास्ता निकाल कर सीधे होकर प्रधान मंत्री सड़क तक पहुंचना चाहता है क्योंकि पूर्व का रास्ता टेड़ा होकर दूरी लिये है। आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष स्पष्ट कर दिया था कि आवेदक के खेत से कोई रूढ़िगत रास्ता नहीं है एंव सर्वे नंबर 744 में बने रास्ते से सभी कृषक आते जाते रहा हैं सर्वे नंबर 744 के आम रास्ते में गडडे कर दिये जाने के कारण आवेदक ने वहॉ से निकलना बंद कर दिया है एंव आवेदक के खेत को सुगम

रास्ता बनाना चाहता है। राजस्व निरीक्षक ने गलत रिपोर्ट दी है एंव स्थल निरीक्षण की सूचना भी आवेदक को नहीं दी है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की। अनावेदक के अभिभाषक ने स्थल निरीक्षण में रूढ़िगत रास्ता पाये जाने एंव पूर्व से इसी रास्ते का उपयोग होना बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग की।

6/ उभय पक्ष के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक को एंव अन्य कृषकों को खेतों पर जाने के लिये पूर्व से सर्वे नंबर 744 में से रास्ता है परन्तु इस रास्ते में गडडे कर दिये जाने के कारण अनावेदक अधिक दूरी के रास्ता सर्वे नंबर 744 से न जाकर आवेदक के खेत में से होकर आना-जाना बनाये है जबकि प्रधान मंत्री सड़क से सर्वे नंबर 744 के रास्ते का प्रयोग होते चले आना तहसीलदार के प्रकरण में आये अभिलेख से परिलक्षित है। विचाराधीन प्रकरण में तहसीलदार ने मौके की जांच राजस्व निरीक्षक से कराई है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 131 में प्रावधान है कि रूढ़िगत रास्ते का विवाद होने पर तहसीलदार उस पक्ष को सुनेगा, जो व्यक्ति मार्ग देने के लिये प्रभावित है । स्थल पर जांच के लिये तहसीलदार स्वयं स्थल निरीक्षण करेगा। राजस्व निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर पारित आदेश अवैध है। (रमेश विरूद्ध नंदन प्रसाद 1984 राजस्व निर्णय 311 से अनुसरित) विचाराधीन प्रकरण में तहसीलदार ने स्वयं स्थल निरीक्षण नहीं किया है अपितु उनके व्दारा पारित आदेश राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित होने से व्यर्थ है।

7/ प्रकरण में विचार योग्य है कि जब प्रधान मंत्री सड़क से भूमि सर्वे नंबर 744 के रकबे में से होकर पूर्व से आमरास्ता निर्मित है जिसकी मिटटी खोद देने से गडडे हो गये हैं, ग्राम पंचायत के माध्यम से गडडे भरवाये जाकर रास्ता खुलवाया जाना

चाहिये, परन्तु तहसीलदार ने ऐसा न करते हुये आवेदक की भूमि में से रूढ़िगत रास्ता मानकर अंतरिम आदेश दिनांक 16-4-14 से रास्ता खुलवाने का आदेश देने में त्रृटि करना परिलक्षित हैं।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार, गुलाना जिला शाजापुर व्दारा प्रकरण कमांक 2 अ-13/ 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 16-4-2014 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ वापिस किया जाता है कि तहसीलदार गुलाना विवादग्रस्त रास्ते का स्वयं स्थल निरीक्षण करें यदि सर्वे कमांक 744 की भूमि में पूर्व से उपयोग किये जा रास्ता है एंव उसमें गडडे हो चुका है तब ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत के माध्यम से गडडे भरवायें जावें, यदि इस कार्य में विलम्ब होने संभावना है तब तक अन्य रास्ते की बैकल्पिक व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर